"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 449] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2016— अग्रहायण 23, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12082/डी. 278/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-11-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 34 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ञञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(टट) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;"

धारा 48 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) यदि सोसाइटी, अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है, तो निर्वाचित सदस्य, ऐसी सोसाइटी के ऐसे सदस्यों, जो ऐसे प्रतिनिधित्व करने हेतु पात्र है, में से अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन करेंगे :

परन्तु यह कि सोसाइटी के किसी सम्मिलन में कोई सहयोजन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक उसमें गणपूर्ति न हों:

परन्तु यह और कि ऐसे बोर्ड के सम्मिलन की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी."

धारा 48-ख का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 48-ख की उप-धारा (3) में,-

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित समूहों तथा अनारक्षित वर्ग में से प्रत्येक प्रवर्ग में एक स्थान (सीट), महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा."

धारा 53-ख का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 53-ख की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(4)(एक) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी का कोई वेतनभोगी अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित नियमों या सोसाइटी की उपविधियों या उसके द्वारा पारित किसी आदेश का जान-बूझकर अथवा लगातार उल्लंघन करता है अथवा उसने अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है तो,-

(क) वह किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सोसाइटी से अपेक्षा कर सकेगा;भ तथा

(ख) तत्पश्चात् सोसाइटी, ऐसे अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये.

(दो) यदि सोसाइटी, उप-धारा (4) के खण्ड (एक) के अधीन कार्यवाही करने में विफल होता है तो रजिस्ट्रार, ऐसे अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अधिकारी पर ऐसी दीर्घ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

स्पष्टीकरण.- "दीर्घ शास्ति", वर्तमान में धारित पद से पदावनति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवामुक्ति का आदेश हो सकता है.

(तीन) उप-धारा (4) के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन दण्डित किये गये अथवा हटाए गये किसी वेतनभोगी अधिकारी को, संबंधित सोसाइटी के सेवा नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन दण्डित किया गया समझा जाएगा; और सेवा से उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा पदच्युति के मामलों में, ऐसा अधिकारी किसी भी सहकारी सोसाइटी में कोई भी पद धारित करने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां, संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे वेतनभोगी अधिकारी को इस उप-धारा के अधीन हटाये जाने से उदभूत रिक्त स्थान, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा शीघ्र भरी जाएगी."

6. मूल अधिनियम की धारा 53-ख के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- नवीन धारा 53-ग का अत:स्थापन.

"53-ग. कतिपय परिस्थितियों में सहकारी बैंक के अधिकारी को हटाया जाना.-

(एक) किसी सहकारी बैंक के बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, को यथास्थिति, रजिस्ट्रार या नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा, रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक की अनुशंसा पर हटाया जाएगा.

(दो) जहां रिजर्व बैंक की राय हो कि किसी सहाकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि उसका निरंतर बना रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तो वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाये जाने के लिये रजिस्ट्रार से अपेक्षा कर सकेगा तथा रजिस्ट्रार, ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(तीन) यदि कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (9) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया हो, रिजर्व बैंक की राय में, अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव नहीं रखता हो, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, पद से हटाया जाएगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) में,- धारा 54 का संशोधन.

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(क) किसी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने के लिए पात्रता मानदण्ड ऐसे होंगे, जैसा कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा विहित किया जाये.

(ख) यदि संबंधित सहकारी बैंक पात्रता मानदण्ड के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर करने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार बैंक के ऐसे पात्र अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा."

धारा 57-ख का विलोपन.

8. धारा 57-ख को विलोपित किया जाये.

धारा 58 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 58 में,-

(एक) उप-धारा (4) में,-

(क) पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक ऐसी अपेक्षा करे, तो रजिस्ट्रार, सहकारी बैंक के वित्तीय लेखाओं की विशेष संपरीक्षा करायेगा और ऐसे संपरीक्षा की रिपोर्ट को, ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा, जैसी कि रिजर्व बैंक द्वारा विहित की जाये."

(तीन) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(8) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे विवेकपूर्ण मानदण्ड, जिसमें पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों से अनुपात के मानदण्ड भी सम्मिलित है, रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे."

धारा 58-ख का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 58-ख की उप-धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्रमांक 12082/डी. 278/21-अ/प्रारू./छ. ग./16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-12-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 34 of 2016)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2016.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (jj), the following shall be added; namely :-

"(kk) "National Bank" means the National Bank for Agriculture and Rural Development established under Section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981)."

Amendment of Section 48.

3. After sub-section (3) of Section 48 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"(3-A) In the event of society failing to elect requisite number of members of Board, the elected member shall co-opt the requisite number of members from the members of such society, which is eligible for such representation :

Provided that no co-option shall be made in a meeting of the society unless there is a quorum :

Provided further that such board meeting shall be presided over by the returning officer."

Amendment of Section 48-B.

4. In sub-section (3) of Section 48-B of the Principal Act,-

(i) for the punctuation full stop "." the punctuation ":" shall be substituted; and

(ii) below sub-section (3), the following shall be added, namely :-

"Provided that the one seat in each category from amongst the groups reserved for the members belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Unreserved, shall be reserved for women."

Amendment of Section 53-B.

5. After sub-section (3) of Section 53-B of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"(4)(i) If in the opinion of the Registrar any salaried officer of the co-operative society willfully and persistently violates the provisions of this Act or Rules made thereunder, bye-laws of the society or any order passed by him or has by fraudulent act caused financial loss to the society,-

(a) then he may, without prejudice to any other action that may be taken against such officer, call upon the society to take action against such officer; and

(b) whereupon the society shall, after affording reasonable opportunity of being heard to such officer, pass such order within such period as may be specified by the Registrar.

(ii) In the case of failure of the society to take action under clause (i) of sub-section (4), the Registrar may, after affording reasonable opportunity of being heard to such officer, impose such major penalty on such officer as he may deem fit.

Explanation.- "major penalty" may be the order of demotion from the present post held, compulsory retirement or termination from the service.

(iii) Any salaried officer punished or removed under clause (i) or (ii) of sub-section (4) shall be deemed to have been punished under the relevant provisions of the service rules of the concerned society; and in case of his compulsory retirement or termination from the services, such officer shall not be eligible to hold any office of any co-operative society :

Provided that the powers conferred on the Registrar under sub-section (4) of this Section shall not be delegated to any officer below the rank of Joint Registrar :

Provided further that the vacancy arising out of the removal of such salaried officer under this sub-section shall be filled immediately by the Appointing Authority or the Registrar, as the case may be."

Insertion of new Section 53-C.

6. After Section 53-B of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"**53-C. Removel of the officer of the Co-operotive Bank in Certain Circumstances.-**

(i) On the recommendation of the Reserve Bank or the National Bank, any member of the Board or Chief Executive Officer of any Co-operative Bank, who do not fulfill the criteria stipulated by the Reserve Bank shall be removed by the Registrar or Appointing Authority, as the case may be.

(ii) Where in the opinion of the Reserve Bank, the functioning of the Chief Executive Officer of any Co-operative Bank is such that it is not desirable in the interest of the Bank to continue; it may require the Registrar to remove the Chief Executive Officer, and the Registrar shall proceed forthwith to remove such Chief Executive Officers after giving a reasonable opportunity of being heard.

(iii) If any person who, has been co-opted as a member of the Board under sub-section (9) of Section 48, in the opinion of the Reserve Bank is not having requisite knowledge or experience then on advice of the Reserve Bank or the National Bank, shall be removed from the office after giving a reasonable opportunity of being heard."

7. In sub-section (3) of Section 54 of the Principal Act,- **Amendment of Section 54.**

(i) for the punctuation full stop ".", the punctuation ":" shall be substituted; and

(ii) below sub-section (3), the following shall be added, namely :-

(a) The eligibility criteria to hold the office of Chief Executive Officer of any Co-operative Bank shall be as such as may be prescribed by the Reserve Bank in this regard.

(b) If the concerning Co-operative Bank fails to appoint Chief Executive Officer under the eligibility criteria within a specified period, in such a condition the registrar may appoint such eligible officer of the Bank."

8. Section 57-B shall be omitted. **Omission of Section 57-B.**

9. In Section 58 of the Principal Act,- **Amendment of Section 58.**

(i) in sub-section (4),-

(a) for the punctuation full stop "." the punctuation ":" shall be substituted; and

(b) after the third proviso, the following shall be added, namely :-

"Provided also that in case of Co-operative Bank, if the Reserve Bank so requires; the Registrar shall cause to conduct special audit of the financial accounts of the Co-operative Bank and furnish the report of such audit in such manner and within such time as may be prescribed by the Reserve Bank."

(ii) after sub-section (7), the following shall be added, namely :-

"(8) In case of primary agricultural credit co-operative society, such prudential norms stipulated by the Reserve Bank including norms for capital to risk weighted assets ratio, shall be prescribed by the Registrar in consultation with National Bank."

10. In sub-section (3) of Section 58-B of the Principal Act, for the words "State Government", the words "Tribunal" shall be substituted. **Amendment of Section 58-B.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .